

विकास

प्रेषक,

जिला विकास अधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 451 / 1-1-स्था0 / ग्रा.वि.अ.-स्थाना. / 2018-19 दिनांक अप्रैल 11, 2018.

विषय:- श्री कमरूल हसन, उर्दू अनुवादक, विकास खण्ड जयहरीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा इस जनपद से अन्यत्र जनपद में स्थानान्तरण चाहने हेतु आवेदन पत्र का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि श्री कमरूल हसन, उर्दू अनुवादक, विकास खण्ड जयहरीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा निम्न जनपदों में स्थानान्तरण चाहने हेतु आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी, जयहरीखाल की संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है, जो कि संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

- (1) जनपद हरिद्वार।
- (2) जनपद देहरादून।
- (3) जनपद उधमसिंहनगर।

उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद मात्र 04 उर्दू अनुवादक कार्यरत है।  
संलग्न-आवेदन पत्र / भवदीय,

(वेद प्रकाश)  
जिला विकास अधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

संलग्न

8  
1115

## स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

- 1- कर्मचारी का नाम/पदनाम- कमरूल हसन  
 2- नियुक्ति/पदोन्नति तिथि- 14-9-1995  
 3- वर्तमान तैनाती कार्यालय/जनपद का नाम- विकास खण्ड जयहरीखाल/ पौड़ी गढ़वाल।  
 4- इससे पूर्व किस जनपद में कार्यरत थे तथा वहां से क्यों हटाये गये आधार- जटाहरा

(आधार यदि स्थानान्तरण हो तो उसका प्रकार स्वेच्छा, जनहित, प्रशासनिक जो भी हो उल्लेख किया जाय)

क्र 0 स 0	नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	गृह जनपद	वर्तमान जनपद में कब से कार्यरत है	इससे पूर्व किस जनपद में कार्यरत थे का पदवार अध्यावधिक विवरण		स्थानान्तरण हेतु विकल्प स्वरूप वरियता क्रम में 10 जनपदों के नाम	अभियुक्ति
						अवधि	पूर्व तैनाती जनपद/क्षेत्र का नाम/पदनाम		
	कमरूल हसन/ उर्दू अनुवादक	14-9-1995	15-11-1971	सहारनपुर (उ0प्र0)	14-9-1995	-	नियुक्ति से जनपद पौड़ी(दुर्गम)में ही कार्यरत है।	1- हरिद्वार 2- देहरादून 3- ऊधमसिंह नगर	

5- मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत नियुक्त तो नहीं है।

नहीं

6- वर्तमान समय में निलम्बित तो नहीं हैं अथवा विभागीय सर्तकता जांच आदि विचाराधीन तो नहीं है।

नहीं

7- स्थानान्तरण का कारण (स्थानान्तरण अधिनियम की धारा का उल्लेख एवं संक्षेप में विवरण दें)- अब तक की पूर्ण सेवा दुर्गम जनपद पौड़ी में की गई है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-2 (ख) के अन्तर्गत समूह -ग के कर्मचारी को गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है। मेरा परिवार वर्तमान में जनपद हरिद्वार में रहता है। पौड़ी दुर्गम जनपद होने के कारण परिवार से दूर रहना पड़ता है तथा परिवार की देखभाल करना कठिन होता है।

8- अन्य विवरण यदि कोई हो।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं वास्तविकता पर आधारित है यदि इनमें से कोई तथ्य गलत पाये जाते हैं तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाय।

दिनांक- 25.04.2018

हस्ताक्षर

नाम- कमरूल हसन

पदनाम- उर्दू अनुवादक

विकास खण्ड/जनपद-जयहरीखाल/पौड़ी

(क) निकटतम उच्च अधिकारी की संस्तुति:-

" मेरे द्वारा उक्त सभी स्तम्भों की सूचना की पूर्ण इन्क सेवा अभिलेखों से कर ली गई है और प्रार्थना पत्र में दिया गया सभी विवरण सही है।"

विकास अधिकारी

पदनाम की मुहर/हस्ताक्षर

जयहरीखाल गढ़वाल

(ख) जिला विकास अधिकारी की संस्तुति:- " मेरे द्वारा उक्त सभी स्तम्भों की सूचना की पूर्ण इन्क सेवा अभिलेखों से कर ली गई है और प्रार्थना पत्र में दिया गया सभी विवरण सत्य है।" संवर्ग..... (संख्या) पद सवीकृत हैं जिसके सापेक्ष.....

पद रिक्त है, श्री/श्रीमती..... के स्थानान्तरण हेतु अपनी संक्षिप्त संस्तुति

जिला विकास अधिकारी

पौड़ी (गढ़वाल)